फा0सं0–8 / 8 / 01 / क्रय / 2018 / 243 A
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
कार्यालय महाप्रबन्धक,
शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना
गाजीपुर–233001(उ.प्र)

दिनांक 20.01.2018
23-1-2018

प्रति,
नोटिस बोर्ड / विभागीय वेव साईट ✓

महोदय,

विषय Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के दर हेतु कोटेशन–

महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set क्रय करने एवं उसके स्थापना हेतु फर्मों से बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं निर्धारित प्रोफार्मा में वित्तीय कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन को दिनांक 12.02.2018 को 4:00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जायेगें। तकनीकी कोटशन दिनांक 12.02.2018 को 4:30 बजे अपराह्न खोली जायेगी। तकनीकी कोटेशन में सफल पाये गये फर्मों के वित्तीय कोटेशन दिनांक 16.02.2018 को अपराह्न 4:30 बजे खोला जायेगा। कोटेशन को विभागीय वेव साइट goaf.gov.in or e procure.gov.in से download मूल्य रहित किया जा सकता है। यह टेन्डर प्रपत्र महाप्रबंधक कार्यालय रू 500/. मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता है जो वापस योग्य नहीं होगा।

क्रम सं.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	मात्रा / संख्या / वजन आदि (इकाई के साथ)
1	2	3
1	Supply / Installation / Commissioning of the Acoustic System on old 320 KVA cummins make water cooled DG Set as per norms of the U.P.Pollution Control Board, Lucknow with all accessories as given below: A) The Acoustic Enclosure shall confirm to the drawing type for conformity to noise ... B) The Enclosure should be fabricated out of CRCA sheet of minimum 1.6 mm thick. C) The sheet metal component should be suitably pretreated and should be Powder Coated to have long life. D) The Door of the Enclosure should be gasketed with quality gaskets to avoid leakage of sound. E) Sound proofing of enclosures should be done with high quality rock wool/ Mineral wool/ foam/ fiberglass wool. F) The Rock minerals fiber glass wool is further covered with fiber glass cloth and perforated powder coated sheet. –	2 Nos

Alkaloid Factory
Dy. No. 457
Dt. 30/1/18

नियम एवं शर्तें:–

(I) वित्तीय कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी संलग्न कोटेशन प्रोफार्मा के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उसपर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य की कुल कीमत को अन्त में अंकों एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है तथा ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन में किसी भी तरह की ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। प्रस्तुत दर FOR-GOAW, Ghazipur (U.P.) के आधार पर होनी चाहिये।

(II) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म की सील आदि न होने पर उसका कोटेशन मान्य नहीं होगा।

(iii) किसी भी तरह के ड्यूटी, टैक्स एवं पैंकिग/फॉर्वाडिंग अलग से दर्शाना होगा। दरों की तुलना इस प्रतिष्ठान में कार्य हेतु दर्शाये गये कुल मूल्य के आधार पर किया जायेगा। अलग से ड्यूटी/टैक्स नही दर्शाये जाने के स्थिति में उसे दिये गये मूल्य में सम्मिलित समझा जायेगा।

(iv) फर्मों के द्वारा तकनीकी कोटेशन के साथ रू 30,000/– मात्र का अर्नेस्ट मनी डिपोजिट सी0डी0आर0 /बैंक ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। न्यूनतम दर दाता को छोड़कर अन्य फर्मों द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी डिपोजिट को आपूर्ति / कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। निविदा में सफल दर दाता को कुल मुल्य का 10 प्रतिशत परफॉरमेंस सिक्योरिटी **सी0डी0आर0 /बैंक ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चेक / बैंक गारंटी** के रूप में जमा करना होगा। Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के आपूर्ति, स्थापना एवं सफल संचालन के एक वर्ष के पश्चात् आपूर्तिकर्त्ता को इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्ति के लगभग पन्द्रह दिनों के भीतर परफॉरमेंस सिक्योरिटी वापस कर दी जायेगी। अर्नेस्ट मनी डिपोजिट टेण्डर के साथ न होने की स्थिति मे, टेण्डर पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम दर दाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी डिपोजिट को परफॉरमेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा। जो फर्मे महानिदेशक आपूर्ति एवं निस्तारण या राष्ट्रीय लधु उद्योग कॉरपोरेशन से Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य हेतु पंजीकृत है उनको अर्नेस्ट मनी डिपोजिट जमा करने से छूट प्रदान की गयी है। इसके लिये उनको संबंधित वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति कोटेशन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set की आपूर्ति, स्थापना एवं उसके सफल संचालन निविदा के विवरण एवं शर्तो के अनुसार नहीं होता है तो फर्म द्वारा जमा परफॉरमेंस सिक्योरिटी जब्त कर लिया जायेगा।

(V) फर्मों द्वारा दिए गए दर की वैद्यता कोटेशन खोलने की तिथि से 180 दिनों तक होगी। कोटेशन दाता द्वारा कम दिनों की वैद्यता देने की दशा में उनके कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(VI) Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set की आपूर्ति, आदेश प्राप्ति के लगभग 30 (तीस) दिनों के भीतर करनी होगी तथा उसके स्थापना एंव संचालन का कार्य Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के इस कार्यालय में प्राप्ति के तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पूर्ण करना होगा। आपूर्ति हेतु वास्तविक अवधि / तारीख, आपूर्ति आदेश में दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में, आपूर्ति हेतु अधिक समय की मॉंग बिना समुचित कारण के स्वीकार्य नही होगी। आपूर्ति कर्त्ता द्वारा कोटेशन दिये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आपूर्ति हेतु दी गयी समय–सीमा एवं अन्य शर्तें उन्हें पूर्णतया मान्य है। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति हेतु ज्यादा अवधि मॉंगे जाने की स्थिति में उसे आपूर्ति हेतु अनिच्छुक समझा जायेगा यदि वह विभाग द्वारा आपूर्ति हेतु दी गयी समय सीमा (बढ़ायी गयी समय सीमा को मिलाकर) में आपूर्ति करने हेतु राजी नहीं होता है या दी गयी समय सीमा में आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है।

(VII)यदि Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set **की आपूर्ति/स्थापना एवं सफल संचालन का कार्य, आदेश में निर्धारित तिथि या बढ़ायी गयी समय सीमा में पूर्ण नहीं की जायेगी तो ऐसी स्थिति में निम्न विवरण के अनुसार आपूर्तिकर्ता को जुर्माना देना पड़ेगा।**

i.	प्रथम 07 (सात) दिन तक के विलम्ब पर	मूल्य से 2 % (दो प्रतिशत) कटौती
ii-	उपरोक्त(i) के बाद अगले 08 (आठ) दिन तक या उसके किसी अंश के विलम्ब पर	मूल्य से 5% (पॉच प्रतिशत) कटौती
iii-	कुल 15 (पन्द्रह) दिनों से अधिक का विलम्ब होने होने पर	मूल्य से 10% (दस प्रतिशत) कटौती

आपूर्ति /कार्य हेतु समय सीमा को बढ़ाने हेतु निवेदन केवल अपरिहार्य कारणों एवं विशेष कठिन परिरिथति होने की दशा में विचार किया जायेगा। समय सीमा बढ़ाने या न बढ़ाये जाने का पूरा अधिकार महाप्रबन्धक को होगा।

(viii) बाजार से Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set की उपलब्धता की जॉच करके ही दर प्रस्तुत करें। यह दर निविदा में प्रस्तुत किया जाता है तो दरदाता को Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set की आपूर्ति/ उसके स्थापना एवं सफल संचालन का कार्य पूर्ण करना होगा आरोपित किए गए आर्थिक दण्ड को स्वीकार करना होगा।

(ix) भुगतान– Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के मुल्य का 80 प्रतिशत भुगतान Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के इस कार्यालय में प्राप्ति के पश्चात् किया जायेगा तथा Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set का शेष 20 प्रतिशत भुगतान एवं स्थापना एवं संचालन इत्यादि का भुगतान, Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के स्थापना एवं 30 दिनों तक उसके सफल सचालन के बाद किया जायेगा। Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set के आपूर्ति के पूर्व आपूर्तिकर्ता फर्म को इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी के समक्ष उनके कार्य स्थल पर निर्धारित मानकों के अनुसार टेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी। टेस्टिंग में Acoustic Enclosure for 320 KVA DG set मानक एवं विवरण के अनुसार सही पाये जाने पर इस कार्यालय में आपूर्ति करना होगा।

(X) आपूर्ति कर्ता / निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्ते मान्य नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी तरह से अन्य शर्ते देने की दशा में उसे आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा अनिच्छुक माना जा सकता है यदि वह अन्ततः ऐसी किसी अतिरिक्त शर्त / शर्तों को वापस नहीं लेता है।

(XI) सामान की आपूर्ति में अयुक्तियुक्त (unreasonable) देरी होने से आपूर्ति आदेश, आपूर्ति से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(XII) **सामग्री की वापसी** :– जांच / परीक्षण में यदि सामग्री आपूर्ति में दिए मानकों / विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पायी गयी तो वह स्वीकार्य नही की जायेगी तथा आपूर्तिकर्त्ता उस सामग्री को स्वयं के व्यय पर माँगकर्त्ता द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किए जाने के एक सप्ताह या महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पर बढ़ायी गयी समय सीमा के अन्दर वापस ले जाने के लिए बाध्य होंगें।

(XIII) कोटेशन के साथ वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण एवं पैन की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(XIV) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेंट्रल रूल) सं0 195 / 1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन सं0 09683900013 एवं GSTN NO. 09AAAGG0195B1ZS है ।

(XV) महाप्रबंधक के पास किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(XVI) महाप्रबंधक को निविदा में दी गयी किसी भी शर्त को शिथिल करने का अधिकार होगा।

23/1/18

प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक–कोटेशन देने हेतु प्रोफामा

सेवा मे,

अधीक्षक,
कार्यालय मुख्य नियन्त्रक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखानो,
नई दिल्ली. 01

बन्द लिफाफे में

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर।

महोदय,

निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा. सं. 8/8/01/क्रय/2018 दिनांक 12.02.2018 के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है :-

(अ) दर भरने की सारणी

क्रम सं.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	मात्रा/ संख्या/ वजन आदि (इकाई के साथ)	दर प्रति यूनिट(रू में)	बिक्री कर / सेवा कर की दर व धनराशि	आईटम वाईज कुल कीमत (रू. मे)
1	2	4	5	6	7
(A)	**Supply / Installation / Commissioning of the Acoustic System on old 320 KVA cummins make water cooled DG Set as per norms of the U.P.Pollution Control Board, Lucknow with all accessories as given below:** A) The Acoustic Enclosure shall confirm to the drawing type for conformity to noise norms. B) The Enclosure should be fabricated out of CRCA sheet of minimum 1.6 mm thick. C) The sheet metal component should be suitably pretreated and should be Powder Coated to have long life. D) The Door of the Enclosure should be gasketed with quality gaskets to avoid leakage of sound. E) Sound proofing of enclosures should be done with high quality rock wool/ Mineral wool/ foam/ fiberglass wool. The Rock minerals fiber glass wool is further covered with fiber glass cloth and perforated powder coated sheet. –	02 Nos.			
				कुल योग	

कुल कीमत (अंकों एवं शब्दों में) ....

(ब) नियम एवं शर्तें

(i) सभी कर जैसे की वैट /सेवा कर आदि स्पष्ट रूप से अंकित किए गये है।

(ii) रू. 30,000/– का अर्नेस्ट मनी डिपोजिट .... के रूप में प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम संलग्न है।

(iii) उपरोक्त दर की वैद्यता कोटेशन खोले जाने की तिथि/दिन से 180 दिनों तक लागू होगी।

(iv) उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना तथा संचालन, आपूर्ति /कार्य आदेश में दी गयी समय–सीमा के अन्दर की जायेगी। केवल अपरिहार्य कारणों एवं परिस्थितियों में ही आपूर्ति समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया जायेगा और इस विषय में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(v) दर देने से पूर्व सामग्री की उपलब्धता की जॉच कर ली गयी है एवं उसे नियत समय अवधि के अन्दर आपूर्ति किया जाएगा।

(vi) आपूर्ति आदेश में दिये गये सामानों की आपूर्ति निर्धारित तिथि या बढ़ायी गयी समय सीमा में पूर्ण नहीं की जायेगी तो ऐसी स्थिति में निम्न विवरण के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता को जुर्माना देना पड़ेगा।

i.	प्रथम 07 (सात) दिन तक के विलम्ब पर	मूल्य से 2 % (दो प्रतिशत) कटौती
ii-	उपरोक्त(i) के बाद अगले 08 (आठ) दिन तक या उसके किसी अंश के विलम्ब पर	मूल्य से 5% (पॉच प्रतिशत) कटौती
iii-	कुल 15 (पन्द्रह) दिनों से अधिक का विलम्ब होने होने पर	मूल्य से 10% (दस प्रतिशत) कटौती

आपूर्ति हेतु समय सीमा को बढ़ाने हेतु निवेदन केवल अपरिहार्य कारणों एवं विशेश कठिन परिस्थिति होने की दशा में विचार किया जायेगा। समय सीमा बढ़ाने या न बढ़ाये जाने का पूरा अधिकार महा प्रबन्धक को होगा।

(vii) जांच/परीक्षण में यदि सामग्री आपूर्ति में दिए मानकों /विशिष्टियों के अनुरूप नही पायी गयी तो वह स्वीकार्य नही की जायेगी तथा आपूर्तिकर्त्ता उस सामग्री को स्वय के व्यय पर मॉगकर्त्ता द्वारा इस सम्बन्ध मे सूचित किए जाने के एक सप्ताह या महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पर बढ़ायी गयी समय सीमा के अन्दर वापस ले जाने के लिए बाध्य होंगें।

भवदीय,

स्थान :–
दिनांक :–

(क) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
टिन सं0–

(i) मेरे द्वारा दर के सारणी (अ) के क0 सं0 1 से 7 तक सभी निर्विष्टियॉ पूर्ण रूपे भरी गयी है।
(ii) मेरे द्वारा कुल कीमत अंकों एवं शब्दों में भरी गयी है।
(iii) मेरे द्वारा निविदा एवं बीजक के प्रत्येक प्रति में हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पायी जाएगी तथा बीजक पर रसीदी टिकट अवश्य लगायी जाएगी। अगर हस्ताक्षर में भिन्नता पाई जाती है या रसीदी टिकट नहीं लगायी जाती है तो समय से भुगतान प्राप्त करने का मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
टिन सं0–

<u>घोषणा</u>

मैं श्री.. निविदा सं0 .... दिनांक.......................... में सभी नियमों को भलीभॉति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमतायें या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा। मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगायी गयी है तथा मेरी फर्म का पूरा पता दिया गया है।
स्थान :–
दिनांक :–

(ग) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
टिन सं0.